दिनांक 04.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 05/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन

आज दिनांकः 04.12.2024 को पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ स्थित सभागार में **श्री विजय शंकर (आईपीएस–1969) सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक/निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारत सरकार के दिनांकः 02.12.2024 को हुये निधन के परिपेक्ष्य में शोक–सभा का आयोजन किया गया।**

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण द्वारा दिवंगत पुलिस अधिकारी को श्रद्वांजलि अर्पित की गयी।

श्री विजय शंकर जी का जन्म 15 जुलाई, 1948 को जनपद बलिया में हुआ था। श्री विजय शंकर वर्ष–1969 बैच के "भारतीय पुलिस सेवा" के अधिकारी रहे हैं। इमरजेन्सी कमीशन के माध्यम से वह "भारतीय पुलिस सेवा" में चयनित होकर प्रशिक्षण के उपरान्त सहायक पुलिस अधीक्षक, जनपद वाराणसी के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 1976 में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ समयमान वेतनमान में प्रोन्नत होने के उपरान्त सेनानायक 23वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद, पुलिस अधीक्षक जनपद गाजियाबाद, पीलीभीत, जालौन, पुलिस अधीक्षक अभिसूचना कानपुर नगर एवं पुलिस अधीक्षक रेलवे लखनऊ के पदों पर नियुक्त रहे। जनपद जालौन में नियुक्त रहते हुये वर्ष 1982 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये। वर्ष 1988 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के फलस्वरूप "पुलिस उपमहानिरीक्षक" अभिसूचना लखनऊ, सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ, पीएसी सेक्टर मुरादाबाद एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 1991 में "पुलिस महानिरीक्षक" के पद पर प्रोन्नत होकर पुनः केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये जहाँ पर वह पुलिस महानिरीक्षक, बीएसएफ मुख्यालय, नई दिल्ली के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 1998 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आकर वह अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद, अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2001 में पुनः

केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये जहाँ पर वह अपर निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली, महानिदेशक सिविल डिफेन्स, नई दिल्ली, महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल, नई दिल्ली एवं **निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली के पद पर नियुक्त रहे जहाँ से वह अधिवर्षता आयु पूर्ण कर जुलाई 2008 में सेवानिवृत्त हुये।** श्री विजय शंकर जी का दिनांकः 02.12.2024 की रात्रि को दुःखद निधन हो गया।

श्री विजय शंकर जी ने सेवाकाल में पूर्ण निष्ठा व लगन से कार्य सम्पादित कर पुलिस विभाग को गौरवान्वित किया। श्री विजय शंकर जी का लगभग 35 वर्षों का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। सेवा के दौरान उन्हें स्वतन्त्रता दिवस 1989 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवा के लिये पुलिस पदक एवं स्वतन्त्रता दिवस 1995 के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में इनके कार्यकाल के दौरान आरुषि–हेमराज डबल मर्डर, मक्का मस्जिद ब्लास्ट एवं मालेगाँव ब्लास्ट जैसे कई संवेदनशील एवं हाई–प्रोफाइल मामलों का अन्वेषण हुआ। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार परिजनों द्वारा उनके पार्थिव शरीर को ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIIMS), नई दिल्ली को दान कर दिया गया है । श्री विजय शंकर अपनी उक्त उपलब्धियों के लिये सदैव हमारी स्मृति में बने रहेंगे ।

दिनांक 04.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 06/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बागपत/थाना बडौत

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 04 ट्रक के टायर**
- **01 पिकअप वाहन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 03.12.2024 की रात्रि थाना बडौत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिनौली मोड़ पर चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—जाबिर 2—इन्तजार घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3—गुलजार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 04 ट्रक के टायर, 01 पिकअप वाहन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जाबिर जनपद सीतापुर व सहारनपुर के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेन्ज स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त जाबिर के विरूद्ध जनपद सहारनपुर, बागपत, सीतापुर, उत्तराखण्ड के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग व अभियुक्त इन्तजार के विरूद्ध जनपद बागपत, सहारनपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग व अभियुक्त गुलजार के विरूद्ध जनपद बागपत के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बडौत पुलिस द्वारा अभियाग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–जाबिर निवासी ग्राम बेगीनाजर थाना गंगोह हालपता–ग्राम शाहपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

2–इन्तजार निवासी नगला राई थाना कैराना जनपद शामली हालपता– ग्राम शाहपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

3–गुलजार निवासी नगला राई थाना कैराना जनपद शामली।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 04 ट्रक के टायर।

2–01 पिकअप वाहन।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

<u>जनपद गाजीपुर/थाना सैदपुर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 04.12.2024 को थाना सैदपुर व थाना खानपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मसूदा रोड पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अमन उर्फ हर्षनारायण घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सैदपुर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद गाजीपुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सैदपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमन उर्फ हर्षनारायण निवासी सराय सदकर थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

जनपद फिरोजाबाद/थाना रसूलपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 03.12.2024 को थाना रसूलपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान खंजापुर जाने वाले रोड पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त इन्तजार अली उर्फ राजू उर्फ इन्तजाय अली घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315

बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रसूलपुर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रसूलपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इन्तजार अली उर्फ राजू उर्फ इन्तजाय अली निवासी कोहिनूर रोड नूरनगर थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद रामपुर/थाना सिविल लाइन

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 गिरफ्तार**

दिनॉकः 04.12.2024 को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बस स्टैण्ड रोडवेज से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अभियुक्त 1–जावेद सहित अभियुक्त 2–शानू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहे थे जिसमें अभियुक्त जावेद की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–जावेद निवासी ग्राम जिठनिया थाना मिलक खानम जनपद रामपुर।

2–शानू निवासी ग्राम जिठनिया थाना मिलक खानम जनपद रामपुर।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–49

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 20 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 03.12.2024 को थाना सेक्टर–49 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सर्विस रोड से 02 अभियुक्तों 1–अकरम अली 2–अनस को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 20 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अकरम अली के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी आदि के 13 अभियोग व अभियुक्त अनस के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–49 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अकरम अली निवासी गली नं0–01 सेक्टर–53 थाना सेक्टर–24 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–अनस निवासी सेक्टर–12 एच ब्लाक प्रताप बिहार विजयनगर, गाजियाबाद स्थायी पता–स्याना चॉदपुर चुंगी थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 20 दो पहिया वाहन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना पैकोलिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना पैकोलिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/363 भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रदीप कुमार को आजीवन कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना सण्डीला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना सण्डीला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दिलीप को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3)/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राशिद को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना अकबरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना अकबरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विजय कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 09 वर्ष के कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पुष्पेन्द्र को 09 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।